न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला-अशोकनगर

निग-1129-I-16

1. शम्भू दयाल पुत्र श्री प्रेम नारायण
2. राजेन्द्र पुत्र श्री कोमल प्रसाद, निवासीगण गर्ल्स स्कूल गली, अशोकनगर (म.प्र.)

— आवेदकगण

विरूद्ध

1. विकम सिंह पुत्र श्री केहरी सिंह, निवासी सिकन्दरा, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2. गोकुलबाई पुत्री फौत केहरी सिंह, पत्नी लालसाहब, निवासी पिपरिया, तहसील मूंगावली, जिला अशोकनगर (मृत)
3. मुन्नीबाई पुत्री केहरीसिंह पत्नी कप्तानसिंह, निवासी आरोली, तहसील मूंगावली, जिला अशोकनगर,
4. श्यामबाई पुत्री श्री केहरीसिंह फौत, पत्नी रामसिंह, निवासी करौदा, तहसील ईसागढ, जिला अशोकनगर (म.प्र.) (मृत)
5. रामरतन पुत्र श्री गंभीर सिंह
6. केशरबाई, पुत्री गंभीर सिंह
7. बिन्दाबाई पुत्री गंभीर सिंह
   निवासीगण ग्राम सिकन्दरा, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)
8. कल्लू पुत्र श्री नन्नूलाल ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं.15,अशोकनगर (म.प्र.)
9. जगदीश पुत्र श्री भैयालाल ब्राह्मण, निवासी अथाई खेडा, अशोकनगर (म.प्र.)
10. कमललाल पुत्र श्री भैयालाल ब्राह्मण निवासी वार्ड नं.12, अशोकनगर (म.प्र.)
11. राजाराम पुत्र श्री गंभीर सिंह
12. जगदीश पुत्र श्री गंभीर सिंह
13. ओमकार सिंह पुत्र श्री गंभीर सिंह
14. हनुमंत सिंह पुत्र श्री गंभीर सिंह
    समस्त निवासीगण ग्राम सिकन्दरा, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)

— अनावेदकगण

श्री [handwritten name] द्वारा आज दि. 6.4.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अना.क्र.2 के वारिसान,
1- नेपालसिंह पुत्र स्व. लालसाहब
2- [illegible] पुत्र लालसाहब
3- जानकी पुत्री लालसाहब
4- [illegible] पुत्री
5- [illegible] पुत्री
नि. पिपरिया तह. मुंगावली जिला अशोकनगर

अनावेदक क्र. 4 के वारिसान
1- [illegible] पुत्री रामसिंह
2- [illegible] पुत्री रामसिंह
नि. करौदा तह. ईसागढ़, जिला अशोकनगर म.प्र.

24.10.16

06/4/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1129–एक/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–1–2017	आवेदक की ओर से श्री के0के0 द्विवेदी अधिवक्ता एवं अनावेदक की ओर से एस0एल0 धाकड़ अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। 2/ उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण नायब तहसीलदार वृत–3 राजपुर तहसील अशोकनगर के प्रकरण कमांक 171/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 09–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 171/बी–121/2011–12 आदेश दिनांक 7–3–13 सहित अग्रिम सभी कार्यवाही को राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण कमांक 1876–दो/2013 में पारित आदेश दिनांक 04–1–16 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। फिर भी तहसीलदार ने इस न्यायालय के आदेश के विपरीत प्रकरण पुनः दिनांक 9–3–16 को आवेदकगण को सूचना जारी करने के आदेश दे दिये। यह भी तर्क दिया कि नायब तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। 3/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण कमांक 171/बी–121/2011–12 में पेशी दिनांक 7–3–13 को सूचना पत्र जारी किये गये जिसमें मरे हुये पक्षकारों को भी तामील कराई गई थी। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 7–3–13 के विरूद्ध इस	

न्यायालय में प्रकरण कमांक निगरानी 1876—दो/2013 प्रस्तुत की गई जिसमें इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 04—1—2016 को आदेश पारित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश दिनांक 7—3—13 निरस्त किया जाकर समस्त कार्यवाही प्रचलन योग्य न होने से समाप्त की गई क्योंकि मृत व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर लिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने की कार्यवाही को उपसमन मानकर प्रचलित कार्यवाही को इस न्यायालय द्वारा समाप्त किया गया था। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04—1—2016 के आदेश का गलत अर्थ निकालकर आदेश के पालन में पुनः सूचना जारी करने के आदेश देने में त्रुटि की है। नायब तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना के साथ—साथ गंभीर अनियमतता की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार वृत राजपुर तहसील अशोकनगर का आदेश दिनांक 9—3—2016 निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य